



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 04/01/2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 284/22 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 284/22 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा



रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू बरामद किया गया है ।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

नूर मोहम्मद पुत्र सईद निवासी बावली रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू ।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अतेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
- 3-का0 587 अंकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।